जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री गोविन्द सिंह राठौड़ और श्रीमति कमल कंवर प्रस्तावित चाईना क्ले क्लस्टर खनन परियोजना एमएल 07/2022 (संदर्भ संख्या 20221000051497) उत्पादन क्षमता – 372362 टीपीए (रोम) क्षेत्रफल 3.99716 हेक्टेयर एवं (अन्य मौजूदा खनन पट्टा खनन पट्टा संख्या 01/2014 (मौजूदा) उत्पादन क्षमता – 25500 टीपीए (रोम) क्षेत्रफल 4.9569 हेक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता – 397862 कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.95406 हेक्टेयर, निकटवर्ती ग्राम इंडोकियावास और लांबा जाटान, तहसील मेड़ता जिला नागौर में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उप खंड अधिकारी मेड़ता नागौर की अध्यक्षता **दिनांक 05.04.2023 को 11:00 बजे स्थान – भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आईटी) ग्राम लांबा जाटान, तहसील मेड़ता जिला नागौर** में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरण :–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2023/1627 दिनांक 20.02.23 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–152/2317 दिनांक 02.03.2023 के अनुपालना में मैसर्स श्री गोविन्द सिंह राठौड़ और श्रीमति कमल कंवर प्रस्तावित चाईना क्ले क्लस्टर खनन परियोजना एमएल 07/20220020 (संदर्भ संख्या 20221000051497) उत्पादन क्षमता – 372362 टीपीए (रोम) क्षेत्रफल 3.99716 हेक्टेयर एवं (अन्य मौजूदा खनन पट्टा खनन पट्टा संख्या 01/2014 (मौजूदा) उत्पादन क्षमता – 25500 टीपीए (रोम) क्षेत्रफल 4.9569 हेक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता – 397862 कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.95406 हेक्टेयर, निकटवर्ती ग्राम इंडोकियावास और लांबा जाटान, तहसील मेड़ता जिला नागौर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक जन सुनवाई दिनांक 05.04.2023 को 11:00 बजे स्थान – भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आईटी) ग्राम लांबा जाटान, तहसील मेड़ता जिला नागौर (राजस्थान) में आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01** पर संलग्न है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र के द इण्डियन एक्प्रेस संस्करण में दिनांक 03.02.2023 एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक ढोलामारू संस्करण में

दिनांक 04.03.2023 में प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या** 02 पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया तथा बताया कि यह जनसुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 एवं संशोधित प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, नागौर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। तत्पश्चात श्री **पूरण कुमार, उप खंड अधिकारी**, मेड़ता जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा पावर पोंइट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों /व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रंबधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया।

साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री **पूरण कुमार उप खंड अधिकारी**, मेड़ता जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को प्रस्तावित परियोजना बाबत् सुझाव/आक्षेप/प्रश्न/शिकायत हेतु एक–एक कर अपना नाम, गांव का नाम व पता बता कर अपनी बात कहने के लिये आमंत्रित किया। उपखण्ड अधिकारी महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बताया है आपकी तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझाव/आपत्ति हो उसका जवाव दिया जायेगा।

उपखण्ड जिला अधिकारी महोदय द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारें में पूछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना आपत्ति/सुझाव/आपेक्ष दे सकते है।

उपखण्ड जिला अधिकारी ने बताया कि यहां पर पहले से भी एक खनन पट्टा संचालित है उसे देखते हुए आप लोगो को किसी प्रकार की आपत्ति या समस्या है तो यहां बता सकते है और गांव वालों से बार–बार पूछा की किसी आपत्ति/सुझाव/आपेक्ष हो तो बताए।

अतं में गांव वालों के खान के बार मे कोई आपत्ति नहीं है बताया और कहा हमे इस खान से कोई दिक्कत नहीं है और खान आएगी तो रोजगार ही बढ़ेगा गांव का विकास होगा। जनसनुवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/ अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों /व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ **श्री पूरण कुमार, उप खंड अधिकारी**, मेड़ता जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

श्री पूरण कुमार,
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता, नागौर (राज.)

श्रीमती सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर, (राज.)

उपस्थिति पत्रक

…ईना क्ले खनिज कलस्टर (Ref. No.20221000051497, M.L. No. 01/2014 and M.L. No. 07/2022) खनन परियोजना, कुल कलस्टर क्षेत्रफल 3.95406 हैक्टयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता 3,97,862 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम इन्दोकियावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर (राज.) आवेदन कर्ता श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह एवं श्रीमती कमल कंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह, रेफरेन्स नम्बर 20221000051497, उत्पादन क्षमता 3,72,362 TPA (ROM) ग्राम इन्दोकियावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर की पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई।

स्थान:- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर) ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेड़ता,
जिला नागौर (राज.)

दिनांक:- 05 / 04 / 2023

समय:- प्रातः 11:00 बजे से।

क्र सं	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Savita, R.O., RSPCB, Nagaur	Savita
2.	PURAN KUMAR, SDM Merta	[illegible]
3.	Tejraj Gaur, AEE, RSPCB, Nagaur	[illegible]
4.	राजेन्द्र सिंह इन्दोकियावास	[illegible]
5.	रामनिवास	
6.	[illegible]	
7.	छोटू राम	[illegible]
8.	छोटू खां [illegible]	छोटू खां
9.	कानाराम	कानाराम
10.	श्रवण सिंह	श्रवणसिंह
11.	कानसिंह	
12.		कानसिंह
13.	बसीराम	
14.	भागुराम	
15.		
16.	बक्साराम	
17.	[illegible]	
18.	सुभटराम	
19.		
20.	बाबूलाल	बाबूलाल

उपस्थिति पत्रक

चाईना वाले खनिज कलस्टर (Ref. No.20221000051497, M.L. No. 01/2014 and M.L. No. 07/2022) खनन परियोजना, कुल कलस्टर क्षेत्रफल 8.95406 हैक्टयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता 3,97,862 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम इन्दोकियावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर (राज.) आवेदन कर्ता श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह एवं श्रीमती कमल कंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह, रेफरेन्स नम्बर 20221000051497, उत्पादन क्षमता 3,72,362 TPA (ROM) ग्राम इन्दोकियावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर की पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई।

स्थान:- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई. टी. सेन्टर) ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेड़ता, जिला नागौर (राज.)

दिनांक:- 05 / 04 / 2023

समय:- प्रातः 11:00 बजे से।

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
21.	चंदीराम	चंदीराम
22.	तेजाराम	तेजाराम
23.	गोविन्द सिंह राठौड़	गोविन्दसिंह
24.	सुरेश	[signature]
25.	Kr. Kirtivardhan Singh Rathore	[signature]
26.	Jassa...	
27.	रामप्रसाद	रामप्रसाद
28.	मदनसिंह	मदनसिंह
29.	पन्नासिंह	पन्नासिंह
30.		[signature]
31.	रामदेव जाखड़ (पंचायत)	जीतमल
32.	जीतमल	
33.		सीयाराम
34.	सीयाराम	रामूराम
35.	रामूराम	सुगनाराम
36.	सुगनाराम	महावीर
37.		
38.	महावीर	[signature]
39.	Dr. Amit Yadav, Vi... Jaipur	[signature]
40.	Mahendra Khokhar	

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,

नागौर- 341001 (राज.) इ.मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक-राप्रनिम / आरओ-नागौर/पी.यू.बी-142/2322 दिनांक :02.03.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "चिना क्लय माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम. एल. नं. 01/2014, 07/2022 Ref No. 20221000051497), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 8.95406 हैक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 3,97,862 TPA(ROM)" आवेदक श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह एवं श्रीमती कमल कंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह क्षेत्र- 3.99716 हैक्टेयर खसरा नं. -72, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 3,72,362 TPA (ROM) (सेलेबल मिनरल 1,06,846.5 TPA & वेस्ट 5623.5 OB/SB/IB-2,48,089 TPA, Topsoil-11,803 TPA) गांव- इंडोकियावास एवं लाम्बा जाटान तहसील- मेडता जिला- नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह एवं श्रीमती कमल कंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह, खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मंण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. उक्त समूह खनन परियोजन से सम्बधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यापालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर नागौर
2. CEO जिला परिषद् नागौर
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी मेडता।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत लाम्बा जाटान।
10. भारत का निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (आई.टी सेन्टर) गॉव- लाम्बा जाटान तहसील- मेडता जिला- नागौर।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय /प्रदूषण/ ज.सु /2023/374 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है। कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 05/04/2023(बुधवार) को प्रात: 11:00 बजे, स्थान- भारत का निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (आई.टी सेन्टर) गॉव- लाम्बा जाटान तहसील- मेडता जिला- नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप /सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम अधीन रहेगी तथा सभी समय प्रावधानों /सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता)

क्षेत्रीय अधिकारी

inancial Assets and Enforcement of

IREL (India

के बकाया मानदेय राशि 34 लाख 72 हजार रूपए का भुगतान दो माह के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने

दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भुगतान की कार्यवाही डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से की जानी थी।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सरकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर – 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम / आरओ–नागौर / पी.यू.बी.–142 / 2322

दिनांक : 02.03.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाइट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 01/2014, 07/2022, Ref. No. 20221000051497), कुल क्लस्टर क्षेत्र–8.95406 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 3,97,862 TPA(ROM)'' आवेदक **श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री दौलत सिंह एवं श्रीमती कमल कंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह**, क्षेत्र–3.99716 हेक्टेयर, खसरा नं.–72, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 3,72,362 TPA(ROM) {सेलेबल मिनरल–1,06,846.5 TPA & वेस्ट 5623.5, OB/SB/IB - 2,48,089 TPA, Topsoil - 11,803 TPA} गांव–इंडोकियावास एवं लाम्बा जाटान, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री दौलत सिंह एवं श्रीमती कमल कंवर पत्नि श्री गोविन्द सिंह**, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनाक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद्, नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयुपर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत, लाम्बा जाटान।
10. भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–लाम्बा जाटान, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय / प्रदूषण / ज.सु.2023 / 374 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 05.04.2023 (बुधवार)** को **प्रातः 11:00 बजे, स्थान–भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–लाम्बा जाटान, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशो के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता)
क्षैत्रीय अधिकारी

ग्रा.पं. लाम्बा जाटान
ग्रा.पं. लाम्बा जाटान

ग्रा.प. लाम्बा जाटान

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
ग्रा.पं. लाम्बा जाटान

ग्रा.पं. लाम्बा जाटान
ग्रा.पं. लाम्बा जाटान